

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र ।

क्र.सं: 830/रेनुकूट/15-31 दिनांक, रेनुकूट, सितम्बर, 09, 2021

सेवा में,

श्री विवेक कुमार, (हेड लीगल )

मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0

रेनुकूट-सोनभद्र ।

विषय: जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षों की लीज (21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिये) दी गयी 61.2348 हे0 वनभूमि के लीज का पुनः 10 वर्षों हेतु (दिनांक- 21.06.2019 से 20.06.2029 तक ) नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भ:

1- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एफ0सी0 डिविजन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड अलीगंज नई दिल्ली की फाईल संख्या-

8-05/1993-एफ0सी0(पी0टी0.1) दिनांक- 15.07.2021

2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या- 200/11-सी FP/UP/IND/39403/2019 दिनांक-16.07.2021

3-इस कार्यालय का पत्रांक- 183/रेनुकूट/15-31 दिनांक- 17.07.2021

4-संस्थान का पत्र दिनांक- 28.07.2021

5-इस कार्यालय का पत्रांक- 379/रेनुकूट/15-31 दिनांक- 30.07.2021

6-संस्थान का पत्र दिनांक- 02.08.2021

7-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 447/रेनुकूट/15-31 दिनांक-06.08.2021

8-प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर का पत्रांक- 318/33-1दि0 07.08.2021

9-इस कार्यालय का पत्रांक- 458/रेनुकूट/15-31 दिनांक- 09.08.2021

10-संस्थान का पत्र दिनांक-13.08.2021

11-इस कार्यालय का पत्रांक- 552/रेनुकूट/15-31 दिनांक- 13.08.2021

12-संस्थान का पत्र दिनांक- 17.08.2021

13-इस कार्यालय का पत्रांक-636/रेनुकूट/15-31 दिनांक- 24.08.2021

14-संस्थान का पत्र दिनांक- 30.08.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म के माध्यम से पॉच प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु संस्थान से अनुरोध किया गया । संस्थान के संदर्भित पत्र दिनांक-30.08.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना/अभिलेखों का परीक्षण कराने के उपरान्त निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया है :-

1- भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 15.07.2021 के बिन्दु संख्या-1 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख संस्थान के पूर्व पत्र दिनांक 28.08.2021 द्वारा उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख करते हुए उसकी प्रति संलग्न की गयी है । यहाँ यह उल्लेख करना है कि संस्थान के पूर्व पत्र दिनांक- 28.08.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का है । प्रश्नगत प्रकरण में केवल भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या की मॉग की है जिसे तैयार कराते हुए पॉच प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

2- बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित कथन के निराकरण कराने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग के मॉग के अनुसार ग्राम- पुरना व पेढ में उपलब्ध करायी गयी 57.559 हे0 गैर वन भूमि से संबंधित तरमीमी मानचित्र की पॉच प्रति कैमूर वन्य जीव प्रभाग में एवं उतनी ही प्रति रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3- बिन्दु संख्या-5 में उल्लिखित कथन का उत्तर प्रभाग स्तर से उच्च स्तर पर प्रेषित करने हेतु वर्ष 2009 में पावर प्लांट की क्षमता एवं तत्समय उत्सर्जित राख की मात्रा एवं वर्तमान में पावर प्लांट की क्षमता एवं उत्सर्जित राख की मात्रा से संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- 830 अ/सम दिनांकित ।

1- प्रतिलिपि: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2- प्रतिलिपि: मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3- प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग  
रेनुकूट-सोनभद्र